रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432 ] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 30, 2001/भाद्र 8, 1923

No. 432] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 30, 2001/BHADRA 8, 1923

## पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2001

**सा.का.नि. 628(अ).**—पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पर्यावरण (सुरक्षा) नियमावली, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को पर्यावरण (सुरक्षा) संशोधन नियम, 2001 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (सुरक्षा) नियमावली, 1986 में क्रम संख्या 91 पर पैट्रोल या मिट्टी के तेल से चलने वाले जनरेटर सैटों हेतु ध्वनि सीमा से संबंधित नियम 3 अनुसूची-I में पैराग्राफ-I में "पहली सितम्बर, 2001 और पहली सितम्बर, 2002 से" शब्दों, अक्षरों और अंकों को "पहली सितम्बर, 2002 और पहली सितम्बर, 2003 से" में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. क्यू-16016/72/2001-सीपीए]

के. राय पाल, विशेष सचिव

**पाद टिप्पणी :** मूल नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 19 नवम्बर, 1986 की संख्या का.आ. 844(अ) के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसके पश्चात् इसमें दिनांक 18 अप्रैल, 1987 की संख्या का.आ. 433(अ), दिनांक 18 जनवरी, 1988 की संख्या का.आ. 64(अ), 3 जनवरी, 1989 की संख्या का.आ. 3(अ), 15 मार्च, 1989 की संख्या का.आ. 190(अ), 24 अक्तूबर, 1989 की संख्या सा.का.नि. 913(अ), 8 जनवरी, 1990 की संख्या का.आ. 12(अ), 30 अगस्त, 1990 की संख्या सा.का.नि. 742(अ), 16 जनवरी, 1991 की संख्या का.आ. 23(अ), 21 फरवरी, 1991 की संख्या सा.का.नि. 93(अ), 12 फरवरी, 1992 की संख्या सा.का.नि. 95(अ), 13 मार्च, 1992 की संख्या सा.का.नि. 329(अ), 5 मई, 1992 की संख्या सा.का.नि. 475(अ), 1 अक्तूबर, 1992 की संख्या सा.का.नि. 797(अ), 28 अप्रैल, 1993 की संख्या सा.का.नि. 386(अ), 19 मई, 1993 की संख्या सा.का.नि. 422(अ), 31 दिसम्बर, 1993 की संख्या सा.का.नि. 801(अ), 3 अप्रैल, 1996 की संख्या सा.का.नि. 176(अ), 31 अक्तूबर, 1997 की संख्या सा.का.नि. 631(अ), 20 अगस्त, 1998 की संख्या सा.का.नि. 504(अ), दिनांक 2 जनवरी, 1999 की संख्या सा.का.नि. 7, दिनांक 5 अक्तूबर, 1999 की संख्या सा.का.नि. 682(अ), दिनांक 25 सितम्बर, 2000 की संख्या सा.का.नि. 742(अ), दिनांक 31 मई, 2001 की संख्या सा.का.नि. 407(अ) के द्वारा संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2001

**G.S.R. 628(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment, Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in rule 3 Schedule I at serial number 91 relating to noise limits for generator sets run with petrol or kerosene, in Paragraph I the words, letters and figures "from September 1, 2001 and September 1, 2002" the words letters and figures "from September 1, 2002 and September 1, 2003" shall be substituted.

[F. No. Q-16016/72/2001-CPA]

K. ROY PAUL, Spl. Secy.

**Foot Note :** The Principal rules were published in the Gazette of India vide No. S.O. 844(E) dated the 19th November, 1986 and subsequently amended vide S.O. 433(E) dated the 18th April, 1987, S.O. 64(E) dated the 18th January, 1988, S.O. 3(E) dated 3rd January, 1989, S.O. 190(E) dated the 15th March, 1989, G.S.R. 913(E) dated the 24th October, 1989, S.O. 12(E) dated the 8th January, 1990, G.S.R. 742(E) dated the 30th August, 1990, S.O. 23(E) dated the 16th January, 1991, G.S.R. 93(E) dated the 21st February, 1991, G.S.R. 95(E) dated the 12th February, 1992, G.S.R. 329(E) dated the 13th March, 1992, G.S.R. 475(E) dated the 5th May, 1992, G.S.R. 797(E) dated the 1st October, 1992, G.S.R. 386(E) dated the 28th April, 1993, G.S.R. 422(E) dated the 19th May, 1993, G.S.R. 801(E) dated the 31st December, 1993, G.S.R. 176(E) dated the 3rd April, 1996, G.S.R. 631(E) dated the 31st October, 1997, G.S.R. 504(E) dated the 20th August, 1998, G.S.R. 7 dated the 2nd January, 1999, G.S.R. 682(E) dated the 5th October, 1999, G.S.R. 742(E) dated the 25th September, 2000, G.S.R. 407(E) dated the 31st May, 2001.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054